न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग०प्र०क्र० - निगरानी-3033/2018/टीकमगढ/भू.रा.

1. श्यामसुन्दर तनय लीलाधर साहू
2. हरदयाल तनय लीलाधर साहू
3. रामसहाय तनय लीलाधर साहू

समस्त निवासी ग्राम देरी तह. खरगापुर जिला टीकमगढ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

म०प्र०शासन

..अनावेदक

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र०क्र० 164/अ-19(4)/2004-05 मे पारित आदेश दिनांक 19/09/2008 के विरुद्ध

महोदय,

पुनरीक्षण करता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि पुनरीक्षण कर्ता को ख.न. 1485, 1486जुज, 1494, कुल रकबा 0.270हे० का व्यवस्थापन म.प्र. कृषिप्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखिल रहित भूमि पर भू स्वामी अधिकारो का प्रदाय किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अंतर्गत प्रदाय कीगई थी प्रश्नाधीन भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता का 1984 के पूर्व सेकब्जा चला आया है और पूर्ण जांच पश्चात उक्त पट्टा 342/अ-19(4)/1995-96 दिनांक 16/7/1996 के द्वारा नायब तहसीलदार खरगापुर ने जारी किया था जिसे अपर कलेक्टर ने इसआधार पर निरस्त कर दिया था कि 2/10/1984को कब्जा नहीहैऔर इसकी निगरानी मा० कमिश्नर महोदय सागर को की थी उन्होने भीअपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा है इससे दुखित होकर यह निगरानी निम्न विधि विन्दुओ पर प्रस्तुत कीजा रही है।

2. यह किपुनरीक्षणकर्ता का वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा रहा है यदि पटवारी द्वारा लेखन त्रुटि मे दिनांक 2/10/84 को गिरदावरी नही की जिसका दोषारोपण पुनरीक्षणकर्ता पर नही थोपा जा सकता जो श्रीमानके समक्ष विचारणीय है ।

3. यह कि मा० अपर कलेक्टर ने दिनांक 25/1/05 के द्वारा आवेदक का

(3)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3033/2018/टीकमगढ़/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21-06-2018 | आवेदक की ओर से श्री डी.के. पासी, अभिभाषक एवं श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री ए.के. निरंकारी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कमिश्नर सागर संभाग, सागर के आदेश दिनांक 19-09-2008 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ष 1984 में आवेदक के कब्जे का कोई प्रमाण नहीं है जबकि प्रावधानुसार वर्ष 1984 में कब्जा होना आवश्यक है । अतः आवेदकगण को प्राप्त भूमिस्वामी अधिकार विधि अनुकूल नहीं रह जाते है । कमिश्नर सागर संभाग, सागर द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>सदस्य 21.6.18 | |